22/11/19

पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अभिभाषक उपस्थित । अपीलांट अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गई । अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अभिभाषक की बहस एवं अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात व नामांतकरण संख्या 2319 दिनांक 30.10.2017 का अवलोकन किया गया । अभिभाषक अपीलांट द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त आराजी का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष वाद घोषणा का दावा वर्ष 2010 से विचाराधीन है, जिसमें वादग्रस्त आराजीयात की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाये रखने का अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित है। नामांतकरण संख्या 2319 दिनांक 30.10.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण तहसीलदार, निवाई जिला टोंक ने गलोल, संतरा, मनभर पुत्रीया भागीरथ तथा तुलसा पत्नी भागीरथ द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग की पालना में तस्दीक किया गया है, नामांतरकरण के अवलोकन से प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1955 की धारा 135(2) का नहीं पाया जाता। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है।
अतः उक्त आधार पर अपीलांट अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2019.12.05 15:48:34
IST
Reason: SelfAttested